छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 521/2007

1. श्री प्रमोद तिवारी, — *अपीलार्थी*
अधिवक्ता, एच–34, कैलाश नगर,
जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — प्रति*अपीलार्थी*
कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जिला– दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 12 अक्टूबर, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री प्रमोद तिवारी ने दिनांक 14.08.2006 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, दुर्ग के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 06.12.2006 को प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील पर कोई सुनवाई नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21. 05.2007 को आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में जानकारी देने में हुआ विलंब के कारण दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 10.09.2007 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने बताया है कि उनके द्वारा कार्यालय के सभी शाखाओं को जानकारी के लिए समय पर पत्र भेजा गया था, किन्तु यह स्पष्ट नहीं हो रहा था कि यह जानकारी उनके विभाग से संबंधित है या किसी अन्य विभाग से संबंधित है, जिसके कारण जानकारी प्रदाय करने में विलंब हुआ है तथा अपीलार्थी को दिनांक 07.02.2007 को जानकारी भिजवाई जा चुकी है । इस संबंध में संचालक, स्वास्थ्य द्वारा भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कुछ पूछा गया था, जिसका उत्तर उन्हें भेजा जा चुका है । चूंकि यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहती है और यह जानकारी

देने के लिए बाध्य नहीं है । उपरोक्त आधार पर जन सूचना अधिकारी को जारी किया गया कारण बताओ सूचना पत्र उनके तर्कों को स्वीकार करते हुए निरस्त किया जाता है, किन्तु जन सूचना अधिकारी

को यह सचेत किया जाता है कि भविष्य में अन्य जन सूचना अधिकारी से संबंधित आवेदन प्राप्त होता है तो संबंधित की ओर हस्तांतरित करे, ताकि आवेदक को किसी प्रकार की असुविधा न हो और अन्य संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त हो सके । प्रकरण में संचालक, स्वास्थ्य को निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी दी गई है तो इस संबंध में परीक्षण कर ले और आवेदक को एक माह में पूर्ण एवं सही जानकारी निःशुल्क प्रदाय कराई जावे । प्रकरण में हुये विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 300/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त